भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4941
दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कोविड-19 के कारण अस्पतालों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन

4941. इंजीनियर गुमान सिंह दामोर:
डॉ. ढालसिंह बिसेन:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कोविड-19 के कारण जिला अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन के लिए कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख): मध्य प्रदेश राज्य में जिला अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रस्तावित उन्नयन का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग): कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए आवश्यक प्रमाणीकरण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधनों के भीतर उनके द्वारा उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में प्रस्तावित आवश्यकताओं के आधार पर जिला अस्पताल के उन्नयन सहित जिला अस्पतालों के स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाती है। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आपातकालीन अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज-II (ईसीआरपी-II) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शहरी- अर्ध-शहरी और जन-जातीय क्षेत्रों में उप-स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ऑक्सीजन वाले बिस्तरों को बढ़ाने और आरटी-पीसीआर प्रयोगशाला आदि की स्थापना के लिए जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में आईसीयू बिस्तरों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, देश के सभी जिलों में बाल चिकित्सा इकाइयों (ऑक्सीजन वाले बिस्तरों तथा आईसीयू/एचडीयू बिस्तरों सहित) की स्थापना करने के लिए प्रावधान है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देश में एमबीबीएस सीटों और स्नातकोत्तर सीटों को बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य/केन्द्रीय सरकार के मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)का उद्देश्य देश में किफायती तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन में सुधार करना और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाना है। इस योजना के दो घटक, नामत: (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना करना; और (ii) मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसी/जीएमआई) का उन्नयन करना है। इस योजना के तहत अभी तक विभिन्न चरणों में (जीएमसी/जीएमआई) के उन्नयन के लिए 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।

(ख): वित्त वर्ष 2021-22 में एनएचएम के तहत मॉडल जिला अस्पताल के रूप में मध्य प्रदेश के 6 जिला अस्पतालों (भोपाल, देवास, होशगाबाद, सीहोर, मंडला और डिंडौरी) के विकास की मंजूरी दी जा चुकी है। पीएमएसएसवाई के तहत मध्य प्रदेश में रीवा, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर स्थित सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में सुपर-स्पेशियलिटी ब्लॉक के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की सीटों को बढ़ोत्तरी के लिए तथा नए स्नातकोत्तर (पीजी) विषयों को शुरू करने/ पीजी की सीटों को बढ़ाने के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर स्थित चिकित्सा कॉलेजों के उन्नयन को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 09.10.2020 के पत्र के माध्यम से कोविड-19 से संबंधित मौतों की सही रिकॉर्डिंग संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

*****